निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर, जयपुर (राज॰)

प्रकरण संख्या 39/2022 (राजस्व अपील)

1. राजेश निर्वाण पुत्र श्री रामलाल निर्वाण निवासी ए–391, चार दरवाजा बाहर, मण्डी खटीकान, जयपुर ।
2. सुरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री श्याम सुन्दर शर्मा निवासी बी–100, सूर्य मार्ग, एल बी एस कॉलेज, तिलक नगर, जयपुर ।
3. विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री बदन सिंह निवासी मकान नम्बर 6, लक्ष्मीनारायण मन्दिर के पास, मीणा कलोनी, गंगापोल, जयपुर।
4. जितेन्द्र मेहन्दवारिया पुत्री रामजीलाल निवासी 4377 मण्डी खटीकान चार दरवाजा के बाहर, जयपुर ।
5. गिरधर गोपाल सिंह चौहान पुत्र बाबूलाल निवासी बी–345, 346, मुरलीपुरा, स्कीम सामुदायिक भवन के पास, मुरलीपुरा, जयपुर।
6. रमेश चन्द शर्मा पुत्र स्व॰ श्री कल्याण सहाय निवासी एस एआर 13, लक्ष्मीनारायणपुरी, रामगंज बाजार, जयपुर ।

समस्त भक्तगण, मन्दिर पंचमुखी हनुमान जी, लक्ष्मण डूंगरी दिल्ली, बाईपास रोड, जयपुर।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर जिला जयपुर।
2. कन्हैयालाल सैनी पुत्र श्री तोफान जाति माली निवासी मकान नम्बर 9 नीबू का बाग, लाल हनुमान मन्दिर के सामने, दिल्ली रोड, जयपुर।
3. राजकुमार सैनी पुत्र श्री देवीलाल सैनी
4. महेन्द्र सैनी पुत्र श्री देवीलाल सैनी
5. जितेन्द्र सैनी पुत्र श्री देवी लाल सैनी
6. दोलत सैनी पुत्र श्री हरिनारायण सैनी

समस्त जाति माली निवासी नीबू का बाग, लाल हनुमान मन्दिर के सामने, बदनपुरा, दिल्ली रोड जयपुर।

प्रत्यर्थीगण

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध राजस्व ग्राम बदनपुरा तहसील जयपुर के सीमाज्ञान आदेश दिनांक 21.01.2022.

उपस्थित :–

1. श्री सचिन शर्मा अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से ।

जिला कलक्टर
जयपुर

निर्णय दिनांक 22.08.2022

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा राजस्व ग्राम बदनपुरा तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 210/2 के सीमाज्ञान आदेश दिनांक 21.01.2022 से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलार्थी को सुना गया ।
3. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि सन् 1964 में खसरा नम्बर 210/2 सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अधिग्रहित कर ली गई एवं खातेदारान ने सरकार से अवाप्ति का मुआवजा प्राप्त कर लिया एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट 0.1897 हैक्टेयर यानि की 15 बिस्वा जमीन की है एवं अवाप्ति के समय भी खसरा नम्बर 210/2 का रकबा 15 बिस्वा था एवं जब 1965 में जमीन सरकार द्वारा अधिग्रहित की जा चुकी है तो पटवारी हल्का द्वारा सम्पूर्ण 15 बिस्वा भूमि जो अधिग्रहित हो चुकी थी उसका सीमाज्ञान किस प्रकार कर दिया इसका कोई स्पष्टीकरण सीमाज्ञान रिपोर्ट में नहीं किया जिससे यह साबित होता है कि पटवारी हल्का ने सीमाज्ञान रिपोर्ट बदनीयति पूर्वक तैयार की है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का ने सीमाज्ञान रिपोर्ट में कहीं अंकित नहीं किया कि उक्त खसरा नम्बर 210/2 की भूमि वर्तमान में किस काम में आ रही है एवं उसकी कितनी नाप है जबकि सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का नाहरगढ यह अंकन करता है कि खसरा नम्बर 210/2 रकबा 0.1897 हैक्टेयर के निशानात बनाने हेतु मौके पर पहुंचा एवं खसरा नम्बर 210/2 की सभी सीमायें कायम की जबकि खसरा नम्बर 210/2 दिल्ली रोड चार लेनीकरण करते समय अधिग्रहित की जा चुकी है एवं सन् 1964 में खसरा नम्बर 210/2 के खातेदारान ने सरकार से अवाप्ति का मुआवजा प्राप्त कर लिया ऐसी स्थिति में खसरा नम्बर 210/2 का रकबा 0.1897 हैक्टेयर का सीमाज्ञान पटवारी हल्का ने उक्त लोगों की उपस्थित में कैसे कर दिया इसलिए पटवारी हल्का द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये जो रिपोर्ट तैयार की गई है वह निरस्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में यह कहीं भी अंकित नहीं किया कि कितनी जरीब चलाई एवं किस सीमा से किस सीमा तक खसरा नम्बर 210/2 की जमीन है एवं मौके पर कोई कृषि भूमि है या नहीं है जबकि मन्दिर के आसपास आबादी बस चुकी है ऐसी स्थिति में मुस्तिकल पाईन्ट भी कायम नहीं किये जा सकते थे एवं जब खसरा नम्बर 210/2 राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्त हो चुका है तो ऐसी स्थिति में मौके पर खसरा नम्बर 210/2 होने का प्रश्न ही नहीं था फिर भी पटवारी हल्का द्वारा मनमाने रूप से खसरा नम्बर 210/2 की सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार कर दी गई जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का ने सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी का भी अवलोकन करने की आश्यकता महसूस नहीं कि क्योंकि जमाबन्दी में आज भी खसरा नम्बर 210/2 जिस दिन वह राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अवाप्त हुआ है उस दिन का ही इन्द्राज चला आ रहा है । यदि 210/2 मौके पर होती तो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 6 के नाम नामान्तरकरण खुला होता, लेकिन पटवारी हल्का ने बिना जमाबन्दी का अंकन देखे ही मनामने रूप से मन्दिर की जमीन पर कब्जा करवाने के उद्देश्य से यह गलत रिपोर्ट तैयार कर दी जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का ने सीमा रिपोर्ट में खसरा नम्बर 203/9 गैर मुमकिन चाह का उल्लेख किया है जबकि मौके पर दूर दूर तक चाह नहीं है, बल्कि मौके पर

जिला कलक्टर
जयपुर

आबादी बस चुकी है एवं उसके अलावा मन्दिर एवं राष्ट्रीय राजमार्ग है एवं मौके पर किसी प्रकार की कोई कृषि भूमि नहीं है। उसके बावजूद पटवारी हल्का ने मनमाने रूप से सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 21.01.2022 तैयार कर दी जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थी संख्या एक से रिपोर्ट दिनांक 21.01.2022 की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर नकल आवेदन पर उनके द्वारा यह कहा गया कि ऐसा कोई रिकार्ड हमारे पास नहीं है उसके बाद दिनांक 10.08.2022 को अपीलार्थी को उक्त रिपोर्ट की फोटो प्रति किसी परिचित से प्राप्त हुई उसके बाद अपीलार्थी ने अपने परिचित अधिवक्ता को सीमाज्ञान रिपोर्ट का अवलोकन करवाया तो उन्होंने सीमाज्ञान रिपोर्ट को अपील के जरिये चुनौती देने की सलाह दी उसके उपरान्त अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत करने में जो देरी हुई वह कानूनन आज्ञानतावश हुई है एवं कानूनी प्रावधानानुसार विधि की मंशा के विपरीत जा कर तैयार की गई रिपोर्ट एवं आदेश को चुनौति देने की कोई मियाद नहीं होती है फिर भी कानून की आज्ञानता वश अपील पेश करने में जो देरी हुई उसको क्षमा किये जाने के लिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जा कर अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने के आदेश फरमावे।

4. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

5. सर्वप्रथम हम अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना चाहेंगे। यद्यपि अपीलार्थीगण की ओर से अपील विलम्ब से पेश की गई है, किन्तु न्यायहित में विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाता है। प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण किया जाता है।

6. अपीलार्थीगण द्वारा ग्राम बदनपुरा पटवार हल्का नाहरगढ तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 210/2 चारलेनीकरण के लिए अवाप्त होने की पुष्टि में अवाप्ति आदेश की फोटो प्रति पेश की गई है। अपीलार्थीगण ने मौके पर हनुमान जी का मन्दिर होना बताया है, मन्दिर मूर्ति नाबालिग होने से अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील पेश की गई है। अपीलार्थीगण को सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर हम न्यायहित दोनों पक्षों की मौजूदगी में सीमाज्ञान कराना उचित समझते है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

7. अपीलाधीन ग्राम बदनपुरा के सीमाज्ञान आदेश दिनांक 21.01.2022 को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार जयपुर को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थीगण द्वारा जो तथ्य बताये गये है उनको देखते हुये दोनों पक्षों की मौजूदगी में नये सिरे से 15 दिवस में सीमाज्ञान कराया जावे।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा तहसीलदार जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली शुमार फैसल होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

9. निर्णय आज दिनांक 22.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर